



राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

क्रमांक: /आर.एस.ए.एच.सी./परीक्षा/2025/ 584

दिनांक: 06/08/25

प्रधानाचार्य,

समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल (राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर) कॉलेज/संस्थान,
जयपुर, राजस्थान।

विषय:- राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की द्वितीय वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा सत्र 2021-22 एवं रिमान्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2020-21 व 2019-20 माह-फरवरी-2025 के सभी पाठ्यक्रमों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की द्वितीय वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा सत्र 2021-22 एवं रिमान्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2020-21 व 2019-20 माह-फरवरी-2025 के सभी पाठ्यक्रमों का दिनांक 30.07.2025 को जारी परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 12.08.2025 की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जायेंगे।

ऑनलाईन आवेदन पत्र www.rpcraj.net पर उपलब्ध है।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन-पत्र ऑन-लाईन भरने के लिए दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नियम/विनियम के अनुसार होंगे।
2. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर वर्णित नियम एवं टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अभ्यर्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करें।
4. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु सैद्धान्तिक परीक्षा के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता/सकती है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग-अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन है, उदाहरणार्थ:- सेक्शन-ए-और सेक्शन-बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन-ए अथवा सेक्शन-बी अथवा दोनों सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र सैद्धान्तिक परीक्षा के कुल पाँच पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को राउण्ड ऑफ करते हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। शुल्क राशि प्रति-उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु केवल सैद्धान्तिक परीक्षा पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है। प्रयोगिक परीक्षा में नहीं।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियायत संबंधी नियम/विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल/राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल बाध्य नहीं होगा।
7. यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



राजस्थान राज्य अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

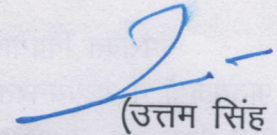
द्वारा - ईमेल

सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

8. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के आवेदन की शुल्क राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नियम/विनियम-2015 के शेड्यूल 16 (11, 12) निम्नानुसार है:-

क्र सं.	विवरण	शुल्क
1	पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/-
2	पुनर्गणना शुल्क प्रति पेपर	200/-

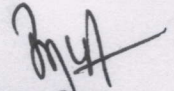
आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र/छात्राओं को आप अपने स्तर से सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2025 एवं 12.08.2025 तक भरे जायेंगे। संस्थान/कॉलेज के कार्यालय से ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरवाये जायेंगे जिससे आवेदन फॉर्म में त्रुटियां होने की संभावना नहीं रहेगी।


(उत्तम सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.
सचिव

क्रमांक: /आर.एस.ए.एच.सी/परीक्षा/2025/584
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक: 04/08/25

1. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
2. गोपनीय अनुभाग, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
3. रक्षित पत्रावली।


परीक्षा नियंत्रक